06/2/25 पत्रावली पेश। बमीसवाडी उप०। बमीसवाडी
ने पूर्व मे अंतिम डिक्री जारी करने हेतु
सहमति जाहीर की। मैने TDR DTR से प्राप्त
बंटवारा प्रस्ताव व पत्रावली का अवलोकन
किया। अतः TDR DTR से प्राप्त बंटवारा
प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी
की जाती है। निर्णय व डिक्री पृथक से

रंकण करा स्था० मिसल रहे। TDR दादाराम के
की निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature].

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ–सीकर

बइजलासः– मोनिका सामोर, R.A.S.

प्रकरण संख्याः–85/2023/दावा

मोहनराम पुत्र मंगलाराम आयु 68 साल जाति रैगर निवासी नौसाल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

–वादी

बनाम

1. बुद्धाराम
2. चेतराम
3. महेन्द्र

} पुत्रगण सुरजा

4. गीता देवी
5. फूली देवी
6. सुगनी देवी

} पुत्रियां सुरजा

7. पांची देवी पत्नि सुरजा
8. मोहनलाल दत्तक पुत्र दाना
9. गीता देवी
10. बिमला देवी
11. संतोष देवी

} पुत्रियां दाना

12. भंवरी देवी पत्नि दाना
13. मदनलाल पुत्र जीवण
14. बलराम उर्फ बंशी पुत्र स्व. शिशपाल
15. सोहनी देवी पत्नि स्व. शिशपाल
16. लादूराम पुत्र स्व. माना
17. सुप्यार देवी पुत्री स्व. माना
    समस्त जाति बलाई निवासीगण नौसाल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
18. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा करड़ तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।
19. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, रिकार्ड दूरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः

1. श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत वकील वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

निर्णय **दिनांकः–06.02.2024**

1. वाद में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 0.0100 है०, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.1000 है०, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.1000 है० खसरा नम्बर 240 रकबा 1.2600 है० खसरा नम्बर 240/721 रकबा 1.9000 है० खसरा नम्बर 242

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

सा० मि० सम

रकबा 2.7900 है० कुल किता 6 कुल रकबा 6.1600 है० वाके ग्राम नौसाल पटवार हल्का कांकरा तह० दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 की संयुक्त खाते की शामलाती कृषि भूमि है। जिसमें वादी का 4/25 हक हिस्सा यानि 0.9856 है० भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा शेष भूमि जमाबंदी में दर्ज हिस्सा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 की खातेदारीशुदा है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स कानूनी रूप से विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 ने उक्त वर्णित कृषि भूमि का बाहमी बटवारा मौके पर कर रखा है और उक्त बाहमी बंटवारा के मुताबिक मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादी ने बाहमी बंटवारा में प्राप्त अपने हिस्से की भूमि पर चारों तरफ पुख्ता नींव सींव कायम कर रखी है तथा अपने हिस्से की भूमि में पशुओं के बांधने का बाडा आदि बना कर वादी निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का पक्षकारान के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउन्ड्स बंटवारा वर्तमान मौके व रिकार्ड के अनुसार किया जाकर वादी के 4/25 हक हिस्से की भूमि की अलग अलग सींव नींव व अलग अलग लगान कायम किया जाकर वादी का उपरोक्त अनुसार कृषि भूमि का बंटवारा किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमियों में बाहमी बंटवारा के अनुसार वादी ने अपनी उक्त हिस्से की कृषि भूमि में पेड पौधे लगा कर खाद आदि डाल कर उपजाउ बना लिया है। प्रतिवादीगण काफी तेज तर्रार व चालाक किस्म के व्यक्ति हैं जो अब वादी के हिस्से में आयी भूमि को हडपने की कुचेष्टा में लगे हुए हैं। जिसके चलते अन्य प्रतिवादीगण से साज कर वादी के हिस्से में आयी भूमि से बेदखल करने पर आमदा है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने कुउद्देश्य में सफल हो गये तो वादी को इस कदर असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं है, इसलिए प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि, जो कि वादी के हिस्से में आयी है, उसके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा डालने, खुर्द बुर्द करने बेचान करने किसी प्रकार से हस्तांतरण करने मौका व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करने से तथा वादी को उसके हिस्से से बलात बेदखल कर कब्जा करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वादी को वाद कारण अर्सा करीब 5–7 रोज पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 द्वारा वाद पत्र की मद सख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि से वादी को बलात बेदखल करने की धमकी दिये जाने तथा बंटवारा करवाने से साफ इन्कार होने के कारण उत्पन्न हुआ तब से वाद कारण निरन्तर रूप से जारी है। अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 237, 238, 239, 240, 240/721, 242 कुल किता 6 कुल रकबा 6.1600 है० वाके ग्राम नौसाल पटवार हल्का कांकरा तह० दातारामगढ जिला सीकर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत् बंटवारा किया जाकर मौके पर कब्जेनुसार व खातेदारी अनुसार अलग से एकांकी रूप से

Pandey

उपखण्ड अधिकारी, दांता...

पतल दफ्तर ... १८ ५ ।

कायम कर अलग अलग खाता कब्जा व लगान एवं सीवं नींव निर्धारित की जावें। उक्त सम्पदा से वादीगण को बेदखल करने, खुर्द बुर्द करने, बेचान करने, किसी भी प्रकार से हस्तानान्तरण करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी के अधिवक्ता द्वारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाने पर सहमति जाहिर की। वकील वादी द्वारा बंटवारा बाबत सहमति प्रकट किये जाने से वाद विवाद्यक कायम नहीं किये जाकर वकील वादी के निवेदन व सहमति पर वाद को प्रारम्भिक रूप से डिक्री कर तहसीलदार दांतारामगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ। वकील वादी ने मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव हेतु अंतिम डिक्री जारी करने हेतु सहमति जाहिर की। बहस सुनी गयी।

3. सुनी गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। पत्रावली एवं बंटवारा प्रस्ताव के समग्र अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद में वर्णित खसरा नम्बरों का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करने की सहमति देते हुये अपने–अपने हिस्सा का भी बंटवारा करने का अनुतोष चाहा है वकील उभयपक्ष की सहमति से वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौके का बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुकूल पाये जाने से उपरोक्त विवेचनानुसार प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव में तथ्यात्मक व विधिक दृष्टि से कोई त्रुटि नहीं होने से वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में मुताबिक डिक्री इन्द्राज करे व बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे। डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार दांतारामगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोनिका सामोर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास मोनिका सामोर, आर.ए.एस

मोहनराम बनाम बुद्धाराम व अन्य

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 85 / दावा सन् 2023 निर्णय दिनांकः 06 / 02 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **मोनिका सामोर आर.ए.एस.** बहाजरी श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि तहसीलदार दांतारामगढ के पत्रांक / 2024 / भू0अ0 / 3664 दिनांक 11.07.2024 के द्वारा प्राप्त बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती हैः–

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	मोहनराम पुत्र मंगलाराम जाति रैगर सा. देह खातेदार	240 / 721 / 1	0.7500	चाही 4	11.36
		किता–01	0.75		11.36

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

2	गीता देवी पुत्री सुरजा हि0 67 / 1970 गीता देवी पुत्री दाना हि0 469 / 9850 चेतराम पुत्र सुरजा हि0 67 / 1970 पांची देवी पुत्री सुरजा हि0 67 / 1970 फूली देवी पुत्री सुरजा हि0 67 / 1970 बुद्धाराम पुत्र सुरजा हि0 67 / 1970 बशीधर पुत्र शिशपाल हि0 469 / 19700 विमला पुत्री दाना हि0 469 / 9850 भवरी पत्नि दाना हि0 469 / 9850 मदनलाल पुत्र जीवण हि0 1173 / 4925 राहिन BRKGB करड महेन्द्र पुत्र सुरजा हि0 67 / 1970 मोहनलाल दत्तक पुत्र दाना हि0 469 / 9850 लादूराम पुत्र माना हि0 469 / 3940 सुगनी पुत्री सुरजा हि0 67 / 1970 सन्तोष देवी पुत्री दाना हि0 469 / 9850 सुप्यार पुत्री माना हि0 469 / 3940 सोहनी पत्नि शिशपाल हि0 469 / 19700	240 / 721 / 2	1.15	चाही 4	17.14
		242	2.97	चाही 4	41.85
		किता- 2	3.94		58.99
3	गीता देवी पुत्री सुरजा हि0 1 / 35 गीता देवी पुत्री दाना हि0 1 / 25 चेतराम पुत्र सुरजा हि0 1 / 35 पांची देवी पुत्री सुरजा हि0 1 / 35 फूली देवी पुत्री सुरजा हि0 1 / 35 बुद्धाराम पुत्र सुरजा हि0 1 / 35 बशीधर पुत्र शिशपाल हि0 1 / 10 विमला देवी पुत्री दाना हि0 1 / 25 भवरी देवी पत्नि दाना हि0 1 / 25 मदनलाल पुत्र जीवण हि0 1 / 5 राहिन BRKGB करड महेन्द्र पुत्र सुरजा हि0 1 / 35 मोहनलाल दत्तक पुत्र दाना हि0 1 / 25 लादूराम पुत्र माना हि0 1 / 10 सुगनी पुत्री सुरजा हि0 1 / 35 सन्तोष देवी पुत्री दाना हि0 1 / 25 सुप्यार पुत्री माना हि0 1 / 10 सोहनी पत्नि शिशपाल हि0 1 / 10 समस्त जाति बलाई सा. देह खातेदार	237	0.01	गै.मु.चा.	
		238	0.10	बा. 4	0.20
		239	0.10	बा. 4	0.20
		240	1.26	चाही 4	18.90
		कुल किता 2	1.47		19.30

उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	2	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(मोनिका सामोर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़